डॉक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि. पू. भु.-04-भोपाल-03-05.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी 2005—माघ 29, शक 1926

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2005

क्र. एफ. 25-1-दस-3-04.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (192 का 16) की धारा 32 तथा धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 8476-8414-दस-60, दिनांक 11 अगस्त 1960 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2005 है.

(2) ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य को लागू होंगे.

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "संरक्षित वन" से अभिप्रेत है ऐसा वन जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 29 के अधीन इस प्रकार घोषित किया गया हो या भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रवृत्त होने से पूर्व किन्हीं अन्य आदेशों, नियमों या अधिनियमों के अधीन घोषित किया गया कोई अन्य संरक्षित वन;

(ख) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जिनका इसमें प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है वही अर्थ होगा जो उन्हें मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) में दिया गया है.

3. **आरक्षित वृक्ष.**—राज्य सरकार संरक्षित वनों में खड़े समस्त वृक्षों को आरक्षित वृक्ष के रूप में घोषित करती है तथा केवल अनुमोदित कार्ययोजना के उपबंधों के अनुसार ही इन वनों से वृक्षों को काटा या हटाया जा सकेगा.

4. राज्य के ऐसे क्षेत्रों के सिवाय, जो कार्य योजना के अनुसार या क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी द्वारा तैयार की गई चराई स्कीम के अनुसार चराई के लिए खुले घोषित किये गये हैं, समस्त संरक्षित वन चराई के लिए निषिद्ध घोषित किये जाते हैं.

5. जब तक राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट आदेश द्वारा अनुमति नहीं दी जाए, तब तक राज्य के समस्त संरक्षित वनों में निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध किये जाते हैं :—

(क) पत्थर, चूना, रेत या अन्य खनिज का खनन तथा संग्रहण;

(ख) कोयला बनाना;

(ग) कृषि, गृह निर्माण, पशु चराने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए वन भूमि को साफ करना या तोड़ना; और

(घ) अनुमोदित कार्य योजना के उपबंधों के उल्लंघन में वन उपज का संग्रहण.

6. राज्य के समस्त संरक्षित वनों का प्रबंधन केवल अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रतन पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2005

क्र. एफ. 25-1-दस-3-04.—भारत के संविधान के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 25-1-दस-3-04, दिनांक 5 फरवरी 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 2nd February 2005

No. F. 25-1-X-3-04.—In exercise of the powers conferred by Section 32 and clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) and in supersession of this Department's Notification No. 8476-8414-X-60, dated 11th August 1960, the State Government hereby makes the following Rules, namely :—

RULES

1. **Short Title, Extent and Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Protected Forest Rules, 2005.

(2) These rules shall be applicable to the whole State of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Protected Forest" means a forest so declared under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or any other Protected Forest declared under any other orders, rules or Act prior to the coming into force of the Indian Forest Act, 1927;

(b) The words and expressions used herein but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the India Forest Act, 1927 (16 of 1927), as applicable to the State of Madhya Pradesh.

3. **Reserved Tree.**—The State Government declares all trees standing in Protected Forest as reserved trees and trees from these forests can only be cut or removed according to the provisions of approved working plans.

4. All protected forests, except the areas declared open for grazing as per the working plan or according to the grazing scheme prepared by Divisional Forest Officer of the area of the State, are declared closed for grazing.

5. The following activities are prohibited in all protected forests, of the State, unless permitted by the State Government by a specific order :—

(a) Quarrying and collection of stones, lime, sand or any other mineral;

(b) Manufacturing of charcoal;

(c) Clearing or breaking of forestland for agriculture, construction of houses, grazing of cattle or for any other purpose; and

(d) Collection of forest produce in violation of the provisions of the approved working plans.

6. The management of all protected forests of the State shall be as per the approved working plans only.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RATAN PURWAR, Secy.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2005

क्र. एफ-25-135-2004-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जैव विविधता (वनस्पति और जंतू) के संरक्षण तथा सरकारी वन से उपज की पोषणीय कटाई के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम, 2005 है.

(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 सं. का 16);

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है इन नियमों में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इन नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो;

(ग) "निषिद्ध क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र, जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हो, जिसमें इन नियमों के नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए किसी विशिष्ट वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण को प्रतिषिद्ध किया गया है;

(घ) "निषिद्ध मौसम" से अभिप्रेत है एक वर्ष में की कतिपय कालावधि या कालावधियां, जिसमें/जिनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 4 के अधीन राज्य के वनों से विशिष्ट वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण को प्रतिषिद्ध किया गया है;

(ङ) "वन क्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी ऐसे आरक्षित या संरक्षित वन क्षेत्र का कोई संविभाग, खण्ड या कोई अन्य प्रशासनिक या प्रबंधन इकाई जो राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया गया/की गई हो;

(च) "कटाई/संग्रहण/निष्कर्षण" से अभिप्रेत है आरक्षित या संरक्षित वनों में या वहां से वन उपज को हटाने, उसका अभिचालन करने, कब्जा रखने या परिवहन का कार्य प्रक्रिया;

(छ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(ज) "पोषणीय कटाई सीमा से अभिप्रेत है वन उपज के उत्पाद पर भविष्य में प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाले बिना और किसी पशु या पेड़ पौधे या उसके पुनर्जनन के उद्गम या उसकी संख्या के अनिष्ट के बिना वार्षिक या कालिक रूप से विनिर्दिष्ट वन से संग्रहीत या निष्कर्षित की जाने वाली उक्त उपज की उच्चतम सीमा;

(झ) "पोषणीय कटाई की पद्धति" से अभिप्रेत है ऐसी गैर विनाशक तकनीक तथा प्रौद्योगिकी जो किसी वन उपज के उत्पाद पर भविष्य में प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाले बिना और किसी पशु या पेड़ पौधे या उसके पुनर्जनन के उद्गम या उसकी संख्या के अनिष्ट के बिना वन से उक्त उपज को संग्रहीत या निष्कर्षित करने के लिए उपयोग में लाई जा सके;

(ञ) ऐसे शब्दों तथा अभिव्यक्तियों को, जिनका इन नियमों में प्रयोग किया है परन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है.

3. **सरकारी वनों से वन उपज के पोषणीय संग्रहण या निष्कर्षण को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने की शक्ति.**—राज्य सरकार सरकारी वनों से वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण के संबंध में ऐसे कदम उठा सकेगी जो वह जैव विविधता के संरक्षण और वन उपज की पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे.

4. **"निषिद्ध मौसम" घोषित करने की शक्ति.**—राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी सरकारी वन से वनस्पति तथा जीव-जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के जीवनचक्र (लाईफसाइकिल) के आधार पर वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण की पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष की कतिपय कालावधि या कालावधियों को निषिद्ध मौसम घोषित कर सकेगी/सकेगा.

5. **निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने की शक्ति.**—राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी वन उपज की भविष्य में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष की कतिपय वन क्षेत्र को विनिर्दिष्ट कालावधि हेतु वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर सकेगी/सकेगा.

6. **पोषणीय कटाई सीमा विहित करने की शक्ति.**—राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी भविष्य में किसी विशिष्ट वर्ष में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी वन उपज की, जो विनिर्दिष्ट वन क्षेत्र से संग्रहित या निष्कर्षित की जा सकती है, मात्रा की सीमाएं विहित कर सकेगी/सकेगा.

7. **पोषणीय कटाई पद्धति विहित करने की शक्ति.**—राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी भविष्य में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने हेतु किसी वन उपज के लिए पोषणीय कटाई पद्धति विहित कर सकेगी/सकेगा.

8. **कटाई के संबंध में हिताधिकारियों द्वारा रिपोर्ट.**—कोई व्यक्ति, जो सरकार वनों से वन उपज संग्रहीत या निष्कर्षित कर रहा है, उसके द्वारा उपाप्त वन उपज के ब्यौरे उस प्राधिकारी को, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी रीति में और ऐसे अंतरालों पर, जैसा विहित किया जाय, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा.

9. **उद्घोषणा.**—वन मण्डलाधिकारी वन की सीमा से 5 किलोमीटर के भीतर के समस्त ग्रामों में, यथासाध्य, डोंडी पिटवाकर या किसी अन्य युक्तियुक्त साधन द्वारा उपरोक्त नियम 4 से 8 के उपबंधों की उद्घोषणा करेगा.

10. **नियम भंग करने के लिए शास्ति.**—जो कोई भी इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह अधिनियम की धारा 77 के अधीन दण्डनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 3rd February 2005

No. F-25-135-2004-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby makes the following rules for the conservation of biodiversity (flora and fauna) and sustainable harvesting of forest produce from Government Forests, namely :—

RULES

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Forest Produce (Conservation of Biodiversity and Sustainable Harvesting) Rules, 2005.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927);

(b) "Authorised Officer" means an officer authorised under these rules by the State Government who shall not below the rank of a Deputy Conservator of Forest for exercising the powers specified in these rules;

(c) "Closed Area" means an area declared as such by the authorised officer in which the collection or extraction of particular forest produce is prohibited for a specified period under rule 5 of these rules;

(d) "Closed Season" means the certain period or periods of a year in which the collection or extraction of a particular forest produce from the forests of the State is prohibited by the authorised officer under rule 4 of these rules;

(e) "Forest Area" means a compartment, block or any other administrative or management unit of reserved or protected forest area specified by the State Government or by the authorised officer for the purpose of these rules;

(f) "Harvesting/Collection/Extraction" means an Act or process of removal, manipulation possession or transportation of a forest produce in or from the reserved or protected forests;

(g) "State" means the State of Madhya Pradesh;

(h) "Sustainable Harvesting Limit" means the maximum quantity of a forest produce that may be collected or extracted, annually or periodically, from a specified forest, without adversely affecting the future yield of the said produce and without any threat to the regeneration of the source organism or its population;

(i) "Sustainable Harvesting Practices" means the non-destructive techniques and technology that may be used for the collection or extraction of a forest produce from a forest without adversely affecting the future yield of the said produce and without any threat to the regeneration of the source organism or its population;

(j) Words and expression used but not defined in these rules shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **Power to take steps to ensure sustainable collection or extraction of forest produce from Government Forests.**—The State Government may take such steps regarding the collection or extraction of forest produce from Government Forests as it may think necessary to ensure the conservation of biodiversity and sustainable harvesting of forest produce.

4. **Power to declare Closed Season.**—The State Government or the authorised officer may declare certain period or periods of a year as closed season

for the collection or extraction of any forest produce from Government Forests to ensure the sustainability of the harvest, based on the life cycle of different species of flora and fauna.

5. **Power to declare Closed Area.**—The State Government or the authorised officer may declare certain forest areas as closed areas for a specified period, for the collection or extraction or any forest produce, in order ensure the sustainable harvesting of such forest produce in future.

6. **Power to prescribe sustainable harvesting limits.**—The State Government or the authorised officer may prescribe limits on quantities of any forest produce that can be collected or extracted from a specified forest area in a particular year in order to ensure sustainable harvesting in future.

7. **Power to prescribe sustainable harvesting practices.**—The State Government or the authorised officer may prescribe sustainable harvesting practices for any forest produce in order to ensure sustainable harvesting in future.

8. **Report by beneficiaries regarding harvesting.**—Any person collecting or extracting any forest produce from Government forests shall be bound to submit the details of the forest produce by him to the authority that may be specified and in the manner and at intervals that may be prescribed.

9. **Proclamation.**—The Divisional Forest Officer shall proclaim the provisions of rules 4 to 8 above by the beat of drum or by any other reasonable means, as for as practicable, in all the villages within 5 kilometers from the forest boundary.

10. **Penalties for breach of rules.**—Whosoever contravenes any of the provision of these rules shall be punishable under Section 77 of the Act.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Secy.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2005

क्र. एफ. 12-23-2004-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता, भाग-1 में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त संहिता में,—

1. सहायक नियम 604 के नीचे दी गई टिप्पणी को, **टिप्पणी**-1 के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाय तथा इस प्रकार पुन: क्रमांकित टिप्पणी-1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"**टिप्पणी**-2.—एक से अधिक राजस्व जिलों में अपना कार्यक्षेत्र रखने वाले निकायों के लेखे संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट कोषालय में रखे जायेंगे. संचालक, कोष एवं लेखा संबंधित निकाय के परामर्श से उसके अधिकारियों को, निकाय के खाते से राज्य के विनिर्दिष्ट कोषालयों में से चेक द्वारा धन आहरित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा."

"**टिप्पणी**-3.—संचालक, कोष एवं लेखा "स्थानीय निधि" का प्रबंधन करने वाले निकाय के परामर्श से संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा विनिर्दिष्ट, राज्य के किसी कोषालय में उसके खाते में निधि का निक्षेप प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा".

"**टिप्पणी**-4.—"स्थानीय निधि" का प्रशासन करने वाला कोई निकाय राज्य सरकार की लिखित अनुमति से एक से अधिक खाते रख सकेगा."

2. नियम 614 के पश्चात्, निम्नलिखित नया नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"614-ए. प्रत्येक "स्थानीय निधि" का लेखा ब्याज रहित रहेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा खाते में जमा अवशेष पर निर्धारित दर पर ब्याज के भुगतान की लिखित में अनुमति न दी जाये."

No. F. 12-23-2004-Rule-IV.—In exercise of the powers conferred by clause (2) Of Article 283 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Treasury Code, Volume I, namely :—

AMENDMENTS

In the said Code,—

(1) Note given below subsidiary rule 604 shall

be renumbered as **'Note-1'** and after Note-1 as so renumbered, the following notes shall be inserted, namely :—

"**Note-2.**—The accounts of a body having its area of operation in more than one revenue district shall be kept at the treasury specified by the Director of Treasuries and Accounts for this purpose. The Director, Treasuries and Accounts may authorize in consultation with the concerned body, its officers to draw money from the account of the body by cheque in any specified treasury of the State.

Note-3.—The Director, Treasuries and Accounts may allow in consultation with the body administering the "Local Fund" to receive deposit of funds into its account in any treasury of the State specified by the Director, of Treasuries and Accounts.

Note-4.—A body administering "Local Fund" may have more than one account with the written permission of the State Government.

(2) After rule 614, the following new rule shall be inserted, namely :—

614-A. Every "Local fund Account" shall be a non-interest bearing account, unless the State Government has permitted in writing the payment of interest at the rates prescribed on the balance in that account.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. पी. श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2005

क्र. एफ. 2-2-2004-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता, भाग-1 में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 21 में, खण्ड (आठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(आठ-क) निविदा आमंत्रित किये जाने के पश्चात्, संविदा जब एक बार किसी प्राधिकारी द्वारा, जो राज्य सरकार के आदेशों के द्वारा या अधीन ऐसा करने के लिए सशक्त हो, अनुमोदित हो जाती है, तो उसी प्रयोजन के लिए एक नई संविदा केवल नई निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् ही की जा सकेगी."

2. यह संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

No. F. 2-2-04-Rule-IV.—In exercise of the powers conferred by Article 283 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Financial Code, Volume-I, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 21, after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(viii-A) Once after inviting tenders a contract is approved by any authority, who has been empowered to do so by or under the orders of the State Government, a new contract for the same purpose can be approved only after inviting fresh tender."

2. This amendment shall come into force with effect from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. पी. श्रीवास्तव, सचिव.